वित्तीय स्वीकृतियां

संख्या-16/2022/2412/52-3-2022-सा(56)/2021-3/1/2021

प्रेषक,

गुलाब सिंह.
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र०
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 28 दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त चार माह (दिसम्बर से मार्च, 2022-23) हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3438/अ0स0क0नि0-13/लेखा/बजट-आ0/2022+23, दिनांक-10-11-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 के पत्र दिनांक- 28-10-2022 द्वारा रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 कार्यालय हेतु अनुदान सं0-48 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अधिष्ठान की विभिन्न मदों में प्राविधनित धनराशि के सापेक्ष अवशेष बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है। रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 के पत्र दिनांक 28-11-2022 की प्रति/व्यय विवरण उपलब्ध कराते हुये अवशेष बजट आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1 454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2 (6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान मद हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये प्रावधानित धनराशि रू0 106.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 35.54 लाख (रू0 पैंतीस लाख चौवन हजार मात्र) की मदवार वित्तीय स्वीकृतियों निम्नवत है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र०	मद का नाम	लेखानुदान में वर्ष 2022-23 आय-व्ययक प्रावधान	आय व्ययक प्रावधान के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु धनराशि
1	01- वेतन	26.70	8.90
2	02- मजदूरी	0.20	0.08
3	03- महगाई भत्ता	9.88	3.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	04- यात्रा व्यय	2.00	0.68
5	06- अन्य भत्ते	5.00	1.68
6	07- मानदेय	8.04	2.68
7	08- कार्यालय व्यय	5.00	1.68
8	11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	0.34
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	1.68
10	13- टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.20
11	15- गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	0.68
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	8.00	2.68
13	18- प्रकाशन	2.00	0.68
14	42- अन्य व्यय	7.00	2.34
15	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.08
16	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	0.50	0.18
17	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबधी स्टेशनरी का क्रय	7.00	2.34
18	49- चिकित्सा व्यय	1.00	0.34
19	51- वर्दी व्यय	----	----
20	52- पुनरीक्षित वेतन का अवेशष राजकीय	----	----
21	55- मकान किराया भत्ता	15 .00	5.00
22	56- नगर प्रतिकर भत्ता	----	----
	योग-	**106.12**	**35.54**

उल्लेखनीय है कि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में अंकित सारिणी के क्रम संख्या-16 व 17 में मानक मद व कोड का पूर्ण अंकन नही किया गया है। किन्तु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप अंकन कर दिया गया है।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृतियाँ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0 के कार्यालय (अधिष्ठान) हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 106.12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 35.54 लाख (रू0 पैंतीस लाख चौवन हजार मात्र) निम्नाकिंत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक / डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
3. उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण /उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31-03-2023 तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
5. धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-001 निर्देशन तथा प्रशासन-06 रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरवी फारसी मदरसा उ0प्र0 प्रयागराज की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दन-2022- 231/2022, दिनांक 07.06.2022 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- (1)/52-3-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/ नियोजन अनुभाग-3
6. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in